पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

भारत संघ और अन्य

बनाम

अपने साझेदार संजीव कुमार के माध्यम से मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक नेट एवं एक अन्य

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6882

में

2017 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1611

13 सितंबर, 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागया)

विचार के लिए मुद्दा

क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 45-ए के तहत निर्धारण की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना नियोक्ता से अंशदान वसूल सकता है, विशेष रूप से जहां सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था और नियोक्ता के रिकॉर्ड के आधार पर अंशदान की मांग की गई थी।

हेडनोट्स

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 – धारा 45-ए – अंशदान का निर्धारण – सुनवाई की अनिवार्य आवश्यकता – अनुपालन न करने पर वसूली अमान्य हो जाती है – माना गया कि ईएसआई अधिनियम की धारा 45-ए उन मामलों में अंशदान का निर्धारण अनिवार्य बनाती है, जहां नियोक्ता द्वारा कोई रिटर्न या अपर्याप्त रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यहां तक कि जहां रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन धारा 44 के तहत अपर्याप्त हैं, वहां धारा 45-ए के तहत निर्धारण आवश्यक हो जाता है। इस प्रावधान के तहत नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने से पहले एक सुविचारित बोलने के आदेश की आवश्यकता होती है। धारा 45-ए के तहत निर्धारण के बिना और नियोक्ता को सुने बिना ईएसआईसी द्वारा 97,13,612/- रुपये की वसूली अवैध थी। [पैरा 6, 8, 9, 11]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 – धारा 45-बी, 45-सी से 45-आई – वसूली

कार्यवाही – धारा 45-ए के तहत अनिवार्य निर्धारण को दरकिनार नहीं किया जा सकता न्यायालय ने कहा कि धारा 45-बी और 45-सी से 45-आई के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में बकाया राशि की वसूली केवल धारा 45-ए के तहत वैध निर्धारण के बाद ही की जा सकती है। औपचारिक निर्धारण या सुनवाई के बिना, केवल निरीक्षण रिकॉर्ड पर ईएसआईसी का भरोसा, वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है।[पैरा 8, 11]

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत – सुनवाई का उचित अवसर – प्रतिकूल आदेश से पहले अनिवार्य –न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, विशेष रूप से अंशदान की मांग से पहले सुनवाई का अभाव, वसूली कार्यवाही को निरर्थक बना देता है। न्यायालय ने **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त** , (1978) 1 एससीसी 405 में निर्धारित निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को दोहराया। [पैरा 11, 12]

वैकल्पिक उपाय - जहां वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो, वहां रिट क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं - माना गया कि, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर रोक नहीं लगाती है, जब वैधानिक प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। [पैरा 7, 12]

प्रशासनिक अभ्यास – फॉर्म सीए-18 (एडहॉक) और सीए-18 (वास्तविक) – गैर-सांविधिक – धारा 45-ए के तहत वैधानिक आवश्यकताएं प्रबल होती हैं –माना गया कि आंतरिक ईएसआईसी राजस्व मैनुअल दिशा-निर्देशों और फॉर्म सीए-18 (एडहॉक /वास्तविक) पर निर्भरता धारा 45-ए के वैधानिक आदेश को रद्द नहीं कर सकती। मैनुअल में खुद धारा 45-ए के तहत सुनवाई से पहले स्पीकिंग ऑर्डर की आवश्यकता दोहराई गई है, चाहे मांग की प्रकृति (वास्तविक या एडहॉक) कुछ भी हो। [पैरा 13, 14, 15]

न्याय दृष्टान्त

ईएसआई कॉर्पोरेशन बनाम सीसी शांताकुमार, **(2007) 1 एससीसी 584** – पर भरोसा किया गया; मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त , **(1978) 1 एससीसी 405** – लागू; गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम उत्तराखंड राज्य , **(2016) 3 एससीसी 601** – लागू; एसआरटीसी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन बनाम ईएसआईसी , रिट अपील संख्या 2171/2023 (मद्रास उच्च न्यायालय) – विशिष्ट

अधिनियमों की सूची

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

ईएसआई अधिनियम; धारा 45-ए; अंशदान का निर्धारण; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत; वसूली कार्यवाही; भू-राजस्व का बकाया; अनुच्छेद 226; सुनवाई; बोलने का आदेश; राजस्व मैनुअल; सीए-18 (तदर्थ); सीए-18 (वास्तविक)

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी रिट अधिकारिता प्रकरण संख्या 6882/2014 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2017

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री शिव नारायण सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता; श्री कुमार आदित्य करण, अधिवक्ता; श्री इंद्रजीत भूषण, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोटस बनाया गयाः सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.6882

में

2017 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1611

==========

1. भारत संघ और अन्य
2. उप निदेशक प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, बी.आई.
3. उप निदेशक वसूली अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक नेट, अपने साझेदार संजीव कुमार एवं एक अन्य के माध्यम से, पिता- ब्रज किशोर प्रसाद सिन्हा, शेखपुरा हाउस, जे.डी. महिला महाविद्यालय के पास, शेखपुरा, थाना शास्त्री नगर, जिला -पटना।
2. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड बेल्ट्रॉन भवन, बेली रोड शास्त्री नगर पटना

....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शिव नारायण सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
श्री गिरिजीश कुमार, अधिवक्ता
श्री कुमार आदित्य करण, अधिवक्ता
श्री इंद्रजीत भूषण, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागया

सी.ऐ.वी. निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख : 13-09-2024

अपील में जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे आगे 'ईएसआई अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 45-ए के अनुसार अधिनियम के तहत अंशदान के रूप में देय राशि का निर्धारण अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, उन परिस्थितियों में जहां सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने करदाता/नियोक्ता के परिसर में निरीक्षण किया था और करदाता द्वारा रखे गए स्वीकृत अभिलेखों के आधार पर आगे बढ़ा था।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 45-ए के तहत अंशदान के इस तरह के निर्धारण के बिना वसूली के लिए की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया; यह स्वीकार किया जाता है कि इससे पहले अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. डी. संजय ने तर्क दिया कि मांग विशेष रूप से प्रमुख नियोक्ता को प्रदान किए गए कर्मियों के विवरण के आधार पर की गई थी; जैसा कि संस्थान के अभिलेख में रखा गया था, जिसका सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। जैसा कि करदाता के अभिलेखों में दर्शाया गया है, मांग की गई है, इसलिए इसे स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता-निगम का गठन वैधानिक रूप से एक कल्याणकारी उपाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, और जब नियोक्ता से अंशदान की मांग की जाती है, तो यह कर्मचारी के लाभ के लिए होता है। नियोक्ता को अंशदान को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे वे वैधानिक रूप से याचिकाकर्ता-निगम को देने के लिए बाध्य हैं। ***मद्रास उच्च न्यायालय ने उप निदेशक बनाम एस.आर.टी.सी. टेक सॉल्यूशंस के प्रबंधन*** मामले में दिनांक 20.09.2023 (2023 की रिट अपील सं. 2171) के खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है।

4. उत्तरदाता-नियोक्ता की ओर से उपस्थित होकर श्री आलोक कुमार सिन्हा,

विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि उत्तरदाता-नियोक्ता बताते हैं कि याचिकाकर्ता यहाँ दूसरे उत्तरदाता, बेल्ट्रॉन को कार्मिकों की आपूर्ति में लगा हुआ था। याचिकाकर्ता ने बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किए गए कर्मियों के रोजगार के संबंध में बेल्ट्रॉन द्वारा निर्देशित राशि का भुगतान किया था। धारा 45-ए के तहत स्वीकार की गई राशियों की वसूली का कोई सवाल ही नहीं है, विशेष रूप से रिट याचिका के अनुलग्नक-3 में दिए गए नोटिस में रिटर्न दाखिल न करने का आरोप है, जो स्पष्ट रूप से धारा 45-ए को लागू करता है। वास्तव में, याचिकाकर्ता-निगम के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता-निगम को केवल रिट याचिकाकर्ता; तत्काल नियोक्ता और प्रमुख नियोक्ता के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है ताकि देय राशि का निर्धारण किया जा सके। याचिकाकर्ता-निगम के पास पर्याप्त राशि शेष है। यह अपील 2017 से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। आवश्यक रूप से, राशि को ब्याज के साथ वापस करना होगा क्योंकि भुगतान में किसी भी चूक के परिणामस्वरूप धारा 39 (5) (ए) के तहत प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से या विनियमों में निर्दिष्ट उच्च दरों पर ब्याज मिलेगा।

5. तात्कालिक नियोक्ता और प्रधान नियोक्ता की परिभाषा से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया है कि प्रथम उत्तरदाता तात्कालिक नियोक्ता है जबकि द्वितीय उत्तरदाता प्रधान नियोक्ता है। प्रथम उत्तरदाता का विशिष्ट मामला यह था कि 01.12.2010 से 31.03.2012 के बीच की अवधि के दौरान, मुख्य नियोक्ता; बेल्ट्रॉन ने अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मानव शक्ति के लिए ई.एस.आई. अंशदान के रूप में ₹21,00,900 की राशि वितरित की थी, जिसे निगम के पास जमा कर दिया गया था। ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 45-बी के तहत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। आयोजित निरीक्षण के आधार पर, रिट याचिका में प्रस्तुत अनुलग्नक-3 जारी किया गया था। अनुलग्नक-3 प्रथम उत्तरदाता और उसके भागीदार को ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों के बारे में सूचित करता है, जो एक कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता को नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के

अंशदान का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है; नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट दर पर कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाएगी; विधिवत् अधिकृत बैंक के माध्यम से निगम के खजाने में जमा किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 26 के तहत निर्दिष्ट बैंक में राशि जमा करने का प्रमाण देने वाले चालान के साथ प्रपत्र-6 में अंशदान की विवरणी भी जमा की जानी है।

6. अंशदान की कुल राशि 1,18,14,512 रुपये बताई गई है और 21,00,900 रुपये की जमा राशि भी निर्दिष्ट की गई है। शेष 97,13,612 रुपये की वसूली की मांग की गई है। जारी किए गए नोटिस में अब तक बकाया अंशदान का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का सख्त निर्देश दिया गया है, अन्यथा ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 45-सी से 45-आई के तहत वसूली की धमकी दी गई है।

7. विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष और हमारे समक्ष याचिकाकर्ता-निगम ने दो दलीलें दीं; एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, और दूसरा कि अधिनियम में सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि देय राशि स्वीकार की गई है। जहां तक पहले विवाद का संबंध है, यदि वसूली कानून के अनुसार नहीं है, तो यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, जिस परिस्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपचार का आह्वान किया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2016) 3 एससीसी 601*** में माना है।

8. जैसा कि नियोक्ता द्वारा आरोप लगाया गया है, वैधानिक अभेद्यता धारा 45-ए के तहत अंशदान का निर्धारण है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन बनाम सीसी शांताकुमार ; (2007) 1 एससीसी 584*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था, जिसमें निर्णय में पाया गया था कि ई.एस.आई. अधिनियम में धारा 45-ए को शामिल करने का उद्देश्य न्यायालय के माध्यम से अंशदान की वसूली के लिए

धारा 75 को लागू करने में शामिल व्यावहारिक कठिनाई को दूर करना था; जिसे अंशदान के माध्यम से देय वास्तविक राशि के बारे में निगम द्वारा किए जाने वाले उचित निर्णय द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी। इसलिए, धारा 45-ए के द्वारा, निगम के लिए ई.एस.आई. न्यायालय का सहारा लिए बिना निगम को देय अंशदान का निर्धारण करना संभव हो गया। जहां तक धारा 45-ए के तहत किए गए निर्धारण का संबंध है, वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में धारा 45-बी के तहत भी की जा सकती है। धारा 45-ए और धारा 45-बी के बल पर की गई वसूली एक अधिक त्वरित उपाय था और अधिनियम की धारा 75 (4) के अनुसार वसूली से अलग था, जिसने ई.एस.आई. न्यायालय को व्यवहार न्यायालय द्वारा यथासंभव वसूली करने का अधिकार दिया था।

9. धारा 45-ए कुछ मामलों में अंशदान के निर्धारण के लिए शुरू किया गया एक प्रावधान है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि जहां किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के संबंध में धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार कोई रिटर्न, विवरण, रजिस्टर या रिकॉर्ड प्रस्तुत, प्रस्तुत या अनुरक्षित नहीं किया जाता है या किसी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रधान या तत्काल नियोक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 45 के तहत अपने कर्तव्यों का प्रयोग, कार्य या निर्वहन करने से किसी भी तरह से रोका जाता है, तो निगम अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आदेश द्वारा कर्मचारियों या कारखाने या प्रतिष्ठान के संबंध में देय अंशदान की राशि निर्धारित कर सकता है।

10. जैसा कि प्रथम उत्तरदाता ने सही ढंग से बताया है, तर्क यह है कि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में, धारा 45 ए अनिवार्य रूप से लागू होती है। हालाँकि, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि धारा 45-ए के अनुसार दाखिल किए गए रिटर्न या विवरण, रजिस्टर या रिकॉर्ड प्रस्तुत, प्रस्तुत या रखे जा रहे हैं, धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए। यहां तक कि अगर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किया जाता है, कि अंशदान रिटर्न के अनुसार और निर्धारिती के परिसर के निरीक्षण पर प्रेषित किए गए

थे, तो अभिलेख से पता चलता है कि भुगतान किए गए अंशदान में कमी आई है; तो आवश्यक रूप से नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्तियों से संबंधित दाखिल रिटर्न में दिया गया विवरण धारा 44 के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धारा 45-ए लागू होगी। धारा 44 (3) प्रधान और तात्कालिक नियोक्ता से यह भी अपेक्षा करती है कि वह अपने कारखाने या प्रतिष्ठान के संबंध में ऐसे रजिस्टर या अभिलेख बनाए रखे, जैसा कि इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा अपेक्षित हो। इसलिए, केवल रिटर्न दाखिल करना या अभिलेखों का रखरखाव मामले को धारा 45-ए से दूर नहीं करेगा; जब एक निरीक्षण किया जाता है। रिटर्न में कर्मचारियों से संबंधित सभी विवरण होने चाहिए और रखे गए अभिलेख विनियमों के अनुसार होने चाहिए; जिनमें से किसी में भी विफलता के कारण निरीक्षण पर धारा 45-ए लागू की जाएगी।

11. हम यह ध्यान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि धारा 45-ए का पहला प्रावधान स्पष्ट रूप से निगम द्वारा धारा 45-ए के तहत कोई आदेश पारित नहीं करने की बात करता है, जब तक कि कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रमुख या तत्काल नियोक्ता या प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो। हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि सुनवाई के लिए एक विशिष्ट प्रावधान भी आवश्यक नहीं है क्योंकि उन सभी मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक अनिवार्य आवश्यकता है जहां पूर्वाग्रहपूर्ण आदेश पारित किए जाते हैं; जैसा कि इस मामले में, जहां ई.एस.आई. अधिनियम के तहत अंशदान के संबंध में मांग की जाती है; जैसा कि ***मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त ; (1978) 1 SCC 405*** में किया गया है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और धारा 45-ए के तहत अंशदान का कोई निर्धारण नहीं किए जाने के कारण, निगम द्वारा कानून में वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना अंशदान की मांग करने में स्पष्ट अवैधता है।

12. इसलिए, वैकल्पिक उपाय अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने में कोई बाधा नहीं है। उपरोक्त तर्क, स्वीकृति के मुद्दे का भी उत्तर देता है; केवल

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के इस कथन पर आधारित कि करदाता द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार एक निर्दिष्ट राशि देय है। वास्तव में, धारा 45-ए के तहत आवश्यक निर्धारण के लिए निगम की ओर से कार्य करने वाले सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को विशेष रूप से तथ्यों और आंकड़ों को सामने रखने की आवश्यकता होगी, जैसा कि अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए गए अभिलेख से पता चलता है, जिससे रिटर्न में काफी अंतर दिखाना होगा। याचिकाकर्ता को न तो स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया है और न ही धारा 45-ए के अनुसार कोई निर्धारण किया गया है।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 20.09.2023 के निर्णय पर भरोसा किया; ***एस.आर.टी.सी. टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधन,*** 2023 की रिट अपील सं. 2171, यह तर्क देने के लिए कि जब नियोक्ता द्वारा रखी गई पुस्तकों और रजिस्टरों के सत्यापन के बाद निरीक्षण में प्रकट तथ्यों के आधार पर नोटिस जारी किया जाता है, तो धारा 45-ए के तहत निर्धारण का कोई सवाल ही नहीं है। उद्धृत निर्णय ई.एस.आई. निगम द्वारा वसूली के लिए अपनाए गए दो तरीकों की बात करता है, एक प्रपत्र सी. ए.-18 (तदर्थ) जारी करके और दूसरा प्रपत्र सी. ए.-18 (वास्तविक) द्वारा। यह घोषित किया गया है कि ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 45-ए प्रपत्र सी. ए.-18 (तदर्थ) में किए गए दावे की स्थिति से संबंधित है न कि प्रपत्र सी. ए.-18 (वास्तविक) के संबंध में। उसी उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय से अलग; जिसमें कहा गया था कि ऐसी परिस्थितियों में भी निर्धारण की आवश्यकता है, खंड पीठ ने पाया कि जब वास्तविक मांग की जाती है तो धारा 45-ए के आवेदन पर विचार नहीं किया गया है।

14. हमने विशेष रूप से विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि इस तरह की प्रक्रिया को कहाँ से चित्रित किया गया है, क्योंकि हमने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रपत्र नहीं देखा है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने समय मांगा और मामले को स्थगित कर दिया गया। आज, जब मामला आंशिक सुनवाई के रूप में सामने आया, तो

उत्तरदाता-नियोक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई रूप नहीं है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता-निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया हो। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने केवल कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए जारी एक राजस्व नियमावली भी प्रस्तुत की। उन्होंने अध्याय 12 के कंडिका L.12.5 का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:-

> *एल. 12.5 मजदूरी पर अंशदान जिस पर अंशदान देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया हैः जब भी एस.एस.ओ. द्वारा नियोक्ता के अभिलेखों के निरीक्षण या परीक्षण निरीक्षण के दौरान कानूनी रूप से देय वेतन का पता लगाया जाता है, तो वह नियोक्ता को तत्काल अनुपालन के लिए सलाह के साथ एक अवलोकन पर्ची जारी कर सकता है जो उसके द्वारा देखे गए ऐसे हटाए गए वेतन के विवरण को दर्शाती है। नियोक्ता द्वारा विधिवत स्वीकार की गई स्थल अवलोकन पर्ची की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न की जानी चाहिए। यदि इस तरह से छोड़ी गई मजदूरी की राशि वास्तविक और पूर्ण राशि है जिस पर अंशदान देय है, तो नियोक्ता को पंपंजीकृत डाक पावती देय के तहत सी-18 (वास्तविक) प्रपत्र में एक नोटिस जारी किया जा सकता है। यदि एस. एस. ओ./टी. आई. ओ. द्वारा रिपोर्ट की गई राशि में मजदूरी के साथ कोई अन्य गैर-मजदूरी घटक जैसे सामग्री लागत माल ढुलाई शुल्क आदि शामिल हैं, तो नियोक्ता को अंशदान के भुगतान के लिए मजदूरी को अलग करने का अवसर दिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्रपत्र सी-18 (तदर्थ) में व्यक्तिगत सुनवाई (एक तारीख तय करके) और अपने रुख को स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और देय अंशदान का एक विस्तृत विवरण दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना है। <u>तदर्थ/वास्तविक आधार पर अंशदान का निर्धारण करते समय, नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता से पहले, अधिनियम की धारा 45-ए के तहत एक मौखिक आदेश मुख्यालय के अनुसार जारी किया जाना चाहिए। निर्देश पी-11/14/57 विविध।/03-Rev.II दिनांकित 7-3-2006।</u>*

15. प्रपत्र सीए-18 (<u>तदर्थ</u>) और प्रपत्र सीए-18 (वास्तविक) में सूचना

नियमावली में प्रदान की गई है; जिसे प्रकृति में वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, उपरोक्त उद्धरण में जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित किया गया भाग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चाहे सूचना तदर्थ हो या वास्तविक आधार पर, नियम पुस्तिका के अनुसार ही नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता से पहले अधिनियम की धारा 45-ए के तहत एक सुविचारित मौखिक आदेश होना चाहिए। उपरोक्त रेखांकित भाग में दी गई चेतावनी उपयुक्त है, क्योंकि यह वैधानिक आवश्यकता है। बेशक, उपरोक्त मामले में वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण विद्वान एकल न्यायाधीश को मामले को विचारार्थ वापस भेजने के लिए राजी होना पड़ा।

16. हम देखते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने Rs.27,51,118/- की राशि वापस करने का निर्देश दिया था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि इस फैसले को अपलोड करने की तारीख से एक महीने के भीतर उचित कार्यवाही की जाती है तो धनवापसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा। इस निर्णय को अपलोड करने की तारीख से एक महीने के भीतर एक नोटिस जारी किया जाना है और उत्तरदाता सं. 1 और 2, प्रमुख नियोक्ता और तत्काल नियोक्ता, उसके बाद एक महीने के भीतर विस्तृत आपत्तियां दायर करेंगे। आपत्तियां प्राप्त होने पर; आपत्तियां दाखिल करने की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। उत्तरदाता सं. 1 और 2 भी सहयोग करेंगे और एक से अधिक स्थगन की मांग नहीं करेंगे। सुनवाई की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर एक आदेश पारित किया जाएगा, जो किसी भी स्थिति में, पहली सुनवाई की तारीख से 1 महीने के भीतर होगा। यदि हमारे द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई आदेश पारित किया जाता है, तो किसी भी धनवापसी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि दिए गए समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो 27,51,118 रुपये की वापसी होगी; नियोक्ता से आगे की वसूली और ब्याज देयता अंतिम पारित आदेश पर निर्भर करेगी।

17. अपील उपरोक्त निर्देशों/टिप्पणियों के साथ खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

मैं सहमत हूँ।
नानी तागया, न्यायमूर्ति:

(नानी तागया, न्यायमूर्ति)

शरून/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।